मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1363

08.12.2025 को उत्तर के लिए

मानव और वन्य-जीवों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाएं

1363. श्री सुनील कुमार :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मानव और वन्य-जीवों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं से विशेष रूप से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि बाघ अभयारण्य से सटे गांवों में हाथी और बाघ की हिंसक गतिविधियों से भी अवगत है;

(ग) पिछले पांच वर्षों में ऐसी घटनाओं की अनुमानित वर्ष-वार संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रभावित परिवारों को सरकार की वर्तमान योजनाओं के तहत मुआवजा दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वन सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) मानव-पशु संघर्षों के निवारण सहित वन्यजीवों का प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेवारी है। किसी भी संघर्ष की स्थिति में, सबसे पहले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्रवाई की जाती है और राज्य सरकार इस तरह के संघर्ष और इसमें शामिल प्रजातियों का विवरण भी रखती है। इससे संबंधित आंकड़ा मंत्रालय स्तर पर संकलित नहीं किया जाता है।

यह मंत्रालय 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' तथा 'बाघ और हाथी परियोजना' जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वन्यजीवों और उनके पर्यावास के प्रबंधन हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें जंगली जानवरों द्वारा पशुओं को उठा ले जाने, फसल का नुकसान करने, जान-माल की हानि करने जैसे नुकसान के लिए मुआवजा देना भी शामिल

है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में जंगली जानवरों के हमलों के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में इन योजनाओं के तहत दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है, जो निधि की उपलब्धता के अध्यधीन है और इसका भुगतान राज्य विशिष्ट दिशानिर्देशों/प्रावधानों द्वारा शासित है।

इससे संबंधित जानकारी नीचे तालिका में दी गई है:

क्र. सं	**जंगली जानवरों से हुए नुकसान की प्रकृति**	**अनुग्रह राहत की राशि**
i.	मृत्यु या स्थायी अक्षमता	10.00 लाख रुपए
ii.	गंभीर चोट	2.00 लाख रुपए
iii.	मामूली चोट	प्रत्येक व्यक्ति के इलाज का खर्च 25,000 रुपये तक है।
iv.	संपत्ति/फसल की हानि,	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अपने द्वारा निर्धारित लागत मानदंडों के अनुसार निर्णय ले सकती है।

राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा वन सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में, स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, नियमित रूप से बाघों और हाथियों के अलावा अन्य परभक्षी जानवरों की निगरानी करना, सुदृढ़ गश्ती प्रणाली विकसित करना, संघर्ष की स्थिति में बचाव और पुनर्वास की व्यवस्था करना, सौर बाड़ लगाना और त्वरित बचाव दल का गठन करना शामिल है।

*****